म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/उपविधि संशो./214/ 1261 भोपाल,दिनांक 12/5/2022

//आदेश//

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतन नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति से यह अपेक्षा करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मंडी समिति का सम्मेलन आहुत कर मंडी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 में निम्नानुसार संशोधित उपबंध को अनिवार्य रूप से स्थापित करें:-

क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
20(10)	अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत मंडी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये प्रारूप-नौ में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। अनुज्ञापत्र क्रमशः तीन रंग सफेद, हरा,गुलाबी में तीन प्रति (ट्रीप्लीकेट) में तैयार किया जायेगा। सफेद प्रतिमूल प्रति होगी, हरी एवं गुलाबी प्रति निर्गमनकर्ता को दी जायेगी। हरी प्रति निर्गमनकर्ता अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा गुलाबी प्रति वाहन के साथ गंतव्य तक ले जायी जायेगी, गंतव्य यदि प्रदेश केकिसी मंडी क्षेत्र में स्थित है तब संबंधित मंडी क्षेत्र के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब यह प्रति सीमा जांच चौकी पर जमा करा दी जायेगी। सीमा जांच चौकी पर इनका मंडीवार एवं	अधिानियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत मंडी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये प्रारूप-नौ में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। ई-अनुज्ञा प्रणाली प्रवर्त होने के उपरांत व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल से ऑनलाईन अनुज्ञापत्र जारी किये जा रहे है। ऑनलाईन ई-अनुज्ञापत्र जारी होने पर क्रेता व विक्रेता व्यापारियों के साथ ही जारीकर्ता मंडी तथा जिस मंडी के लिये अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, उन मंडियों के सचिवों को अनुज्ञापत्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में क्रेता व्यापारी द्वारा मंडी क्षेत्र में कृषि उपज आयात करने के 14 दिवस के भीतर ई-अनुज्ञा पोर्टल पर ऑनलाईन पुष्टि करने पर आयातित मंडी के सचिव द्वारा,

	व्यापारीवार हिसाब रखा जायेगा। कार्यालय की प्रति संबंधित व्यापारी की नस्ती में व्यवस्थित रूप से लगाई जायेगी। परन्तु अनुज्ञा पत्र मुद्रण के समय यदि हरे रंग एवं गुलाबी रंग का कागज उपलब्ध न हो तो ऐसी आकस्मिकता की दशा में ऑंचलिक कार्यालय के उपसंचालक की पूर्व अनुमतिसे अनुज्ञा पत्र की हरी प्रतिके स्थान पर सफेद कागज पर हरे रंग की स्याही एवं गुलाबी प्रतिके स्थान पर सफेद कागज पर गुलाबी रंग की स्याही से अनुज्ञा पत्र मुद्रित करवाया जा सकेगा और ऐसा मुद्रित अनुज्ञा पत्र क्रमशः अनुज्ञा पत्र की हरी एवं गुलाबी प्रतिके विकल्प के रूप में मान्य होगा। ऐसी परिस्थितिमें मुद्रित करवाये गये अनुज्ञा पत्रों की बुकों की संख्या एवं अनुक्रमांकों की जानकारी संबंधित उपसंचालक द्वारा प्रदेश के समस्त ऑंचलिक उपसंचालकों को तत्काल दी जायेगी। ऑंचलिक उप संचालक अपने क्षेत्र की समस्त मंडी समितियो एवं अंतराज्जीय जॉच चौकियों को उक्त जानकारी तत्काल प्रेषित करेंगे ताकि अनुज्ञा पत्रों के रंगो को लेकर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।	संबंधित ई-अनुज्ञा पत्र को व्यापारी द्वारा मंडी में प्रस्तुत होना मान्य करते हुए, उसे ई-अनुज्ञा पोर्टल पर सत्यापित किया जायेगा और संबंधित क्रेता व्यापारी को पृथक से मंडी में आयातित कृषि उपज का **14** दिवस के भीतर आफलाईन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ई-अनुज्ञा पत्र से मंडी में आयातित कृषि उपज की क्रेता व्यापारी द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर 14 दिवस के भीतर पुष्टि नही की जाती है तो मंडी अधिनियम की धारा 19(ख) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। आयातित मंडी समिति द्वारा आवश्यकता होने पर मंडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उक्त आयातित कृषि उपज का भौतिक सत्यापन कर सकेगी। ई अनुज्ञा पत्र की एक प्रति (हार्ड कापी) कृषि उपज के परिवहन के समय वाहन के साथ गंतव्य तक रखी जायेगी। गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब सीमा जांच चौकी पर या अन्य निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से निगर्मित की जा रही कृषि उपज का ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। निर्यात होने वाली कृषि उपज का मंडीवार एवं व्यापारीवार रिकार्ड डिजीटल रखा जायेगा।

मंडी समिति में सम्मेलन आहुत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मंडी समिति द्वारा उपविधि संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि का उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके आधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मंडी समिति के द्वारा किये गये समझे जायेंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनॉक 27/05/2022 से मंडी समिति द्वारा आबद्धकर होंगे।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/उपविधि संशो./214/ 1262 भोपाल,दिनांक 12/5/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक(समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑंचलिक कार्यालय द्वारा उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध करायेंगे।
4. चीफ प्रोग्रामर(एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला................................ (समस्त) उपविधि में उपरोक्त संशोधन विर्निदिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन ऑंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलंब प्रेषित करें।
6. गार्ड फाईल/लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कार्मिक शाखा/एमआईएस/आईटी/ईनेम/विधि शाखा/प्रांगण शाखा म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\umesh\UMESH LETTER...